संख्या-87/2024/466रिट/22-2-2024-17(1318)/2022

प्रेषक,

मदन मोहन,
विशेष सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 लखनऊ दिनांक 14 अगस्त, 2024

विषय:- केन्द्रीय कारागार, बरेली में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी दिवाकर पुत्र श्री तेजपाल, निवासी जनपद-अमरोहा की फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-19738/प्रोवेशन-3 (फार्म-ए)/2024, दिनांक-03.07.2024 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार केन्द्रीय कारागार, बरेली में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी दिवाकर पुत्र श्री तेजपाल, लम्बिया, थाना-रजबपुर, जनपद-अमरोहा का निवासी है। प्रधानी के चुनाव की रंजिश एवं पूर्व में हुयी हत्या के बदले की रंजिश को लेकर दिनांक 16.03.2000 को बन्दी ने अपने 13 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर तमन्चे, राइफल व बन्दूक से गोली मारकर 04 व्यक्तियों की जघन्य हत्या कर दी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-212/2000 में भा0द0वि0 की धारा-302/149, 148 के अन्तर्गत मा0 न्यायालय, अपर जिला जज/विशेष सत्र न्यायाधीश, ज्योतिबाफुले नगर के आदेश दिनांक 14.12.2005 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया। मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद के आदेश दिनांक 10.11.2006 द्वारा आजीवन कारावास की सजा को यथावत रखा गया। बन्दी द्वारा दिनांक 17.06.2024 तक अपरिहार 18 वर्ष, 25 दिन तथा सपरिहार 23 वर्ष, 07 माह, 17 दिन की सजा भोगी गयी है।

जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, अमरोहा द्वारा मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति की गयी है।

प्रोबेशन बोर्ड का अभिमत है कि प्रधानी के चुनाव की रंजिश एवं पूर्व में हुयी हत्या के बदले की रंजिश को लेकर दिनांक 16.03.2000 को बन्दी ने 13 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर तमन्चे, राइफल व बन्दूक से गोली मारकर 04 व्यक्तियों की हत्या करने का जघन्य अपराध किया गया है। इस तरह के अपराधियों को कारागार से रिहा किये जाने पर समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत संदेश जायेगा। जेल रिपोर्ट के अनुसार बन्दी की आयु 53 वर्ष, 06 माह है। अतएव बन्दी द्वारा कारित 04 व्यक्तियों की हत्या करने जैसा जघन्य अपराध, बन्दी की आयु आदि सभी तथ्यों पर विचार करते हुए प्रिजनर्स रिलीज ऑन प्रोबेशन एक्ट-1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बंदी दिवाकर पुत्र तेजपाल को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

3- अतः उपरोक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि केन्द्रीय कारागार, बरेली में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी दिवाकर (बंदी संख्या-50815) पुत्र श्री तेजपाल, निवासी जनपद-अमरोहा के फार्म-ए/लाईसेंस पर यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आंन प्रोबेशन एक्ट,1938 की धारा-2 के प्राविधानों के अन्तर्गत सम्यक् विचारोपरान्त उसे मुक्ति का पात्र नहीं पाया गया है। अतएव उक्त बन्दी की लाइसेन्स पर मुक्ति राज्यपाल महोदया द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। तदनुसार उसके फार्म-ए पर शासन के आदेश अंकित करके एतद्द्वारा वापस लौटाया जा रहा है। कृपया प्राप्ति स्वीकार करते हुए शासन के निर्णय से बन्दी को तत्काल अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नकः यथोपरि।

(बन्दी का फार्म-ए एवं समस्त पत्रादि सहित)

भवदीय,
मदन मोहन
विशेष सचिव।

संख्या-87/2024/466 रिट (1)/22-2-2024 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- जिला मजिस्ट्रेट, अमरोहा।
2- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, बरेली।
3- नोडल अधिकारी/अधीक्षक, जिला कारागार, गाजियाबाद को विशेष अनुज्ञा याचिका (कि0) संख्या-16734/2023 दिवाकर बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में मा0 न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 08.04.2024 एवं दिनांक 06.05.2024 के सन्दर्भ में।
4- निजी सचिव, मा0 मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी को सूचनार्थ।
5- निजी सचिव, मा0 राज्य मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी को सूचनार्थ।
6- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
ममता श्रीवास्तव
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

शासनादेश संख्या-87/2024/466रिट/22-2-2024-17(1318)/2022

दिनांक 14 अगस्त, 2024 का संलग्नक

सरकार के आदेश

केन्द्रीय कारागार, बरेली में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी दिवाकर पुत्र श्री तेजपाल, लम्बिया, थाना-रजबपुर, जनपद-अमरोहा का निवासी है। प्रधानी के चुनाव की रंजिश एवं पूर्व में हुयी हत्या के बदले की रंजिश को लेकर दिनांक 16.03.2000 को बन्दी ने अपने 13 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर तमन्चे, राइफल व बन्दूक से गोली मारकर 04 व्यक्तियों की जघन्य हत्या कर दी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-212/2000 में भा0द0वि0 की धारा-302/149, 148 के अन्तर्गत मा0 न्यायालय, अपर जिला जज/विशेष सत्र न्यायाधीश, ज्योतिबाफुले नगर के आदेश दिनांक 14.12.2005 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया। मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद के आदेश दिनांक 10.11.2006 द्वारा आजीवन कारावास की सजा को यथावत रखा गया। बन्दी द्वारा दिनांक 17.06.2024 तक अपरिहार 18 वर्ष, 25 दिन तथा सपरिहार 23 वर्ष, 07 माह, 17 दिन की सजा भोगी गयी है।

जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, अमरोहा द्वारा मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति की गयी है।

प्रोबेशन बोर्ड का अभिमत है कि प्रधानी के चुनाव की रंजिश एवं पूर्व में हुयी हत्या के बदले की रंजिश को लेकर दिनांक 16.03.2000 को बन्दी ने 13 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर तमन्चे, राइफल व बन्दूक से गोली मारकर 04 व्यक्तियों की हत्या करने का जघन्य अपराध किया गया है। इस तरह के अपराधियों को कारागार से रिहा किये जाने पर समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत संदेश जायेगा। जेल रिपोर्ट के अनुसार बन्दी की आयु 53 वर्ष, 06 माह है। अतएव बन्दी द्वारा कारित 04 व्यक्तियों की हत्या करने जैसा जघन्य अपराध, बन्दी की आयु आदि सभी तथ्यों पर विचार करते हुए प्रिजनर्स रिलीज ऑन प्रोबेशन एक्ट-1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बंदी दिवाकर पुत्र तेजपाल को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

उक्त के दृष्टिगत सम्यक् विचारोपरान्त राज्यपाल महोदया द्वारा बंदी की फार्म-ए/लाईसेस के आधार पर समयपूर्व रिहाई अस्वीकार कर दी गयी है।

मदन मोहन
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।